(2)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 783-तीन/2008 - विरूद्ध आदेश दिनांक 23-6-2008 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 477/2006-07 अपील

1- मुस0 केमली पत्नि स्व. रामावतार दाहिया
2- रामनिहोर 3- सुरेश कुमार
पुत्रगण स्व. रामावतार दाहिया निवासीगण
ग्राम धोरहरा तहसील अमरपाटन जिला सतना ---आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती मख्खी पत्नि साधूलाल काछी
ग्राम धोरहरा तहसील अमरपाटन जिला सतना ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

## आ दे श

(आज दिनांक 01-11 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 477/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-3-08 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम धौरहरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 201 रकबा 0.35 एकड़ तथा 238 रकबा 0.10 एकड़ तेला काछी के नाम थी जिसने कच्ची विक्रय टीप से आवेदकगण को विक्रय कर दी। तहसीलदार अमरपाटन ने विक्रय टीप अनुसार केता आवेदकगण का आदेश दि013-12-04

से नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपील प्रचलन के दौरान उभय पक्ष के बीच राजीनामा हुआ एंव न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण क्रमांक 71/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-8-1-07 से राजीनामा स्वीकार किया एंव अपील समान्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 477/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-3-08 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यंह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम धौरहरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 201 रकबा 0.35 एकड़ तथा 238 रकबा 0.10 एकड़ तेला काछी के नाम थी जिसने कच्ची विक्रय टीप से आवेदकगण को विक्रय कर की है। तहसीलदार अमरपाटन ने विक्रय टीप अनुसार केता आवेदकगण का आदेश दि0 13-12-04 नामान्तरण किया है। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष प्रस्तुत अपील में आवेदकगण के अभिभाषक ने आवेदक क्रमांक 2 व 3 को धोखा देकर अपील का जवाव प्रस्तुत करना बताते हुये राजीनामा पर दस्तखत करा लिये। आवेदकगण पढ़े लिखे नहीं है राजीनामा कूटरचित है । राजीनामा प्रस्तुत होने के वाद अनुविभागीय अधिकारी ने राजीनामा करने वालों के कथन भी नहीं लिये है जिसके कारण राजीनामा प्रभावी नहीं माना जा सकता। जब यह तथ्य अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष रखा गया, तब अपर आयुक्त रीवा संभाग ने इस पर गौर न करने में भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 71/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-8-1-07 की प्रमाणित प्रतिलिपि अपर आयुक्त के प्रकरण में संलग्न

है जिसका अॅश उद्धरण इस प्रकार है :-

1. प्रकरण पेश ।
2. पक्षकार अभि0 उप0। राजीनामा से सहमत है। राजीनाम अनुसार अपील समाप्त होकर दा.रि. हो। राजीनामा अनुसार विधिवत् विक्रय पत्र संपादित करावें।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ है एंव राजीनामे के आधार पर दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील/ निगरानी सुनवाई योग्य नहीं है। जहां तक कूटरचना आदि संबंधी दिये गये तर्को का प्रश्न है ? आवेदकगण सक्षम न्यायालय में राजीनामा आवेदन शून्य घोषित कराने हेतु स्वतंत्र हैं। निगरानी वास्तविक तथ्यों के विपरीत प्रस्तुत होना पाई गई है, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 477/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-3-08 में अनुविभागीय अधिकारी अपरपाट्न के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 477/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-3-08 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर